न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 13/2022 (निगरानी पंचायत)

GCMS No : 2022/49

अनवान

1. श्री नसरुदीन पिता श्री अजमेरी भाई निवासी कोटडा, जिला उदयपुर।

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री नजीर अहमद पिता श्री नसरुदीन निवासी कोटडा, जिला उदयपुर।

– विपक्षी

उपस्थित

1. श्री गिरिजा शंकर मेहता, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी ।

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत कोटडा बापी पट्टा 128/2014 दिनांक 05.08.14

*** निर्णय ***

दिनांक– 28-06-2024

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ग्राम पंचायत कोटडा द्वारा प्र.स. 128/14 के द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम पर दिनांक 05.08.2014 को पट्टा जारी किया गया जो न्याय एवं विधि के सिद्धान्तो के विपरीत होने से खारिज योग्य है। मौजा कोटडा तहसील कोटडा के हल्के आबादी मे निगराकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक मकान संख्या 369 स्थित है जिसमें परिवार सहित निवास कर रहा है। रेस्पोडेन्ट जो कि निगराकार का पुत्र होकर गलत तरीके से निगराकार की सम्पति को हडपना चाहता है इस गर्ज से उसने ग्राम पंचायत कोटडा के समक्ष दिनांक 20.05.2014 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निगराकार के उक्त रिहायशी मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम कर मिसल संख्या 128 पर प्रकरण दर्ज कर बाद कार्यवाही रेस्पोडेन्ट के नाम पर दिनांक 05.08.2014 को बापी पट्टा जारी करवा दिया गया जबकि निगराकार एवं रेस्पोडेन्ट मुस्लिम विधि से अधिशासित होकर रेस्पोडेन्ट का पिता निगराकार जीवित है और मुस्लिम विधि के अनुसार जब तक पिता जिवित होते है तब तक पुत्र को अपनी पैतृक सम्पति में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने नाम पर ग्राम पंचायत कोटडा से जो पट्टा दिनांक 05.08.2014 को जारी करवाया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

है वह न्याय एवं विधि के सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी पिता की मृत्युपरांत उसकी संतान उत्तराधिकारी हो बापी पट्टा जारी करवा सकती है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में पिता जीवित हो निगराकार उक्त पडौसान के मध्य स्थित मकान में निवास कर रहा है और उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट को किसी भी तरह से उक्त सम्पति हस्तांतरित नहीं किये जाने के बावजूद रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त सम्पति को गलत ढंग से हडप करने की गर्ज से अपने नाम पर पट्टा जारी करवा दिया है, जो कि मुस्लिम विधि के विरूद्ध होकर उत्तराधिकार एवं प्रशासन विधि अध्याय 9 page 483 AIR 1982 Patna 89 civil write JUR. case no 3468 of 1980, RRT 2017 page 803 हसन बनाम रूकसाना वगैरह, RBJ 2016 page 244 नसीबकोर बनाम रामेश्वर देवी वगैरह RRD 1993 page 682 riv. no. 133/91 or RRD 2000 page 483 जानकी देवी बनाम मणीराम वगैरह की नजीरों के अनुसार पिता के जीवनकाल में मुस्लिम विधि के अनुसार संतान को कोई हक अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत कोटडा द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम पर जारी पट्टा निरस्त योग्य है। उक्त मकान में विद्युत कनेक्शन भी निगराकार का होकर परिवार सहित निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत कोटडा द्वारा विधिवत कार्यवाही नहीं कर कागजी खानापुर्ति कर पट्टा जारी किया है जबकि रा.पंचायतीराज अधि. की धारा 157 के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व मौके का स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक है तथा पडौसियों के शपथ पत्र व बयान की आवश्यकता होने के बावजूद केवल मात्र वार्ड पंच श्री भोजा, सरोज व प्रकाश के हस्ताक्षर करवा स्थल निरीक्षण बताया गया है, जो कि न्याय एवं विधि के सिद्धान्तो के पूर्ण रूप से प्रतिकूल हो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अतः निवेदन है कि निगराकार द्वारा पेश निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत कोटडा द्वारा जारी मिसल संख्या 128/2014 के तहत रेस्पोडेन्ट के नाम पर जारी बापी पट्टा दिनांक 05.08.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा रा.प.अधि.1994 की धारा 97 के प्रावधानों के अनुरूप निगरानी पेश नहीं की है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के साथ पट्टे की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिया पेश नहीं की गई। निगरानीकर्ता द्वारा महत्वपूर्ण पक्षकार ग्राम पंचायत को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है कोमनसेन्स की बात है कि जिस संस्था द्वारा पट्टा जारी किया आप उसके (आदेश को ही न्यायालय में पेश नहीं कर रहे हो) ओर फोटो प्रति को चुनोती दे रहे है बगैर उसे पक्षकार बनाये निगरानी चलने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र कमाक 7 दिनांक 16/11/2022 को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

पेश कर उक्त बापी पट्टे की पत्रावली को अपने रेकर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया है तो जब कोई रेकर्ड उनके कार्यालय में नहीं है तो निगरानी कर्ता के द्वारा बापी पट्टा पंचायत की लिखी गई आदेशिकाए आपत्ति नोटिस मौका निरीक्षण रिपोर्ट सभी की फोटो प्रतियां ये कहा से लाकर निगरानी में पेश कर दी है यह जांच का विषय है और सत्यता का पता लगने पर इन दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना है। फिर भी जब कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है तो निरस्त किसे किया जावे। यह प्रश्न कानूनी तथा न्यायालय को तय करना है ऐसी बेवजह प्रस्तुत निगरानी को जिसमें न्यायालय का महत्वपूर्ण समय जाया किया जा रहा है। इसलिये निगरानीकर्ता पर भारी कोस्ट 50000 लगाते हुए अविलम्ब निरस्त किया जाने की प्रार्थना है। रा.प.रा. अधि. 1994 की धारा 97 के उप धारा (3) अन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख है, कि पंचायत राज संस्था या उसके किसी भी स्थाई समिति या उप समिति से पारित किसी भी आदेश के 90 दिन के भितर–भितर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी। जबकि प्रस्तुत निगरानी को आदेश पारित किये जाने के 8 वर्षो के बाद आप न्यायालय में चुनोती दी गई है। जो कि तय सीमा से बाधीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। 8 वर्षो तक निगरानी क्यूं पेश नहीं की इसका भी कोई स्पष्ट कारण निगरानी में उल्लेखित नहीं किया है जबकि इसके स्वंय द्वारा अधिकृत अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी का एक लिगल नोटिस दिनांक 20.10.2017 में रेस्पोडेन्ट को व ग्राम पंचायत कोटडा को प्रेषित किया गया था जो रेस्पोडेन्ट को मिला इसी पट्टे के विरूद्ध 15 दिनों में कानूनी कार्यवाही हेतु चेतावनी भी दे चुका था और यहा निगरानी में पट्टे कि जानकारी 16.09.2020 को हुई यह लिखा है तो कोनसी बात सही मानी जावे जब कि 20.10.2017 को उसे इस पट्टे का ज्ञान हो चुका था। निगरानी कर्ता द्वारा अपनी पूरी निगरानी में यह बताया कि मुस्लिम विधि के अनुसार पिता के जीवनकाल मे उसकी मौरूसी या पैतृक सम्पति में उसका बेटा कोई हक अधिकार नहीं रखता है यह मकान या भुमि निगरानी कर्ता कि पेतृक है ही नहीं क्योंकि इसके स्वंय के द्वारा अधिकृत अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी का एक लिगल नोटिस दिनांक 20.10.2017 में रेस्पोडेन्ट को ग्रा.प. को दिया जिसमें कहीं भी इस मकान या भूमि को पैतृक या मौरूसी नही बताया है जबकि यहां मौरूसी बता रहे है। स्वामित्व एवं हक व अधिपत्य कि बात एवं मुस्लिम विधी कि कोई भी बात यह न्यायालय तय नहीं कर सकती है परन्तु सिविल न्यायलय में भारी कोर्ट फिस से बचने के लिए रा.प.रा.अधि. की धारा 97 का सहारा लेकर मकान के हक अधिपत्य स्वामित्व की घोषणा करवाना चाहता है इसलिये यह रास्ता निगरानीकर्ता ने अपनाया है जो कि विधि विरूद्ध है। मुस्लिम विधी का श्रेत्राधिकार सिविल न्यायालय ही है। उपरोक्त बापी पट्टा पंजीयन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

कार्यालय से पंजीकृत होकर ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा 54 के अन्तर्गत विक्रय विलेख पंजीकृत होने से इसे खारिज करने का एक मात्र अधिकार भी सिविल न्यायालय को है। आप न्यायालय को यह पंजीयन विकय विलेख को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से भी निगरानी इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने की प्रार्थना है। बापी पट्टे का कोई प्रश्न है तो पं.रा.अधि. 1994 की धारा 157 के अनुसार जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो तो वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो नियमानुसार उसका शुल्क जमा करा कर पट्टा जारी करवा सकता है और विपक्षी नजीर ने वही किया है निगरानीकर्ता ने कोई साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य निगरानी में पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि ये उसकी पैतृक सम्पति है। विपक्षी पुत्र ने उसे पिता होने से निवास के लिए मकान दे रखा है विपक्षी ने 50 लाख रूपये खर्च कर पक्का निर्माण करा कर दो मंजिला मकान बना रखा है बस इसी से निगरानीकर्ता कि नियत खराब हो रही है और उसे बेचने पर आमादा है। पंचायत ने सही पट्टा जारी किया है मौका निरीक्षणकर्ता नवाब अली जो कि उस तात्कालिक समय उपसरपंच था उसके हस्ताक्षर है जवाब के साथ बतौर साक्ष्य नवाबअली का शपथ पत्र पेश किया है। निगरानीकर्ता जो हक आधिपत्य की बात कर रहे है वह सिविल न्यायलय से प्राप्त कर सकते है जबकि वहां 1,77,125/– रूपया न्यायालय शुल्क बनता है इसलिये निगरानीकर्ता ने शोर्टकट रास्ता अपना कर आप न्यायाल में निगरानी प्रस्तुत की है। अतः निवेदन है कि 50000 पचास हजार रूपया कोस्ट लगाकर निगरानी निरस्त किय जाने की प्रार्थना है।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि मुस्लिम लॉ का मामला है मै पिता हूं मेरे जीतेजी बापी पट्टा बना लिया है। नियम 157 में जारी कराया है जबकि उसमें 50 वर्षो से अधिक कब्जा या पैरेन्टल प्रोपर्टी हो तो बापी पट्टा बना सकते है। मेरे जिंदा रहते नहीं बना सकते है। मे स्वंय मकान में रह रहा हूं बिजली का बिल जमा करा रहा हूं। पट्टा प्रारम्भिक स्तर पर शून्य है शून्य कराने की जरूरत नहीं। प्रकरण को स्वीकार कर पट्टे को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की एवं अपनी मौखिक बहस में जवाब व लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि रिविजन 90 दिनों में पेश करना था, लिमिटेशन के बाद पेश किया, धारा 5 नहीं लगायी। देरी का कारण भी नहीं बताया। 2017 में मुझे नोटिस दिया। 5 साल बाद मेने मकान बनाया तब तक आपत्ति नहीं थी। 2017 में जानकारी थी, लेकिन वाद कारण नहीं बताया। प्रमाणित कॉपी आपने पेश की है। मुस्लिम लॉ को निर्णय करने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

का अधिकार सिविल कोर्ट को है रजिस्टर्ड दस्तावेज है इस न्यायालय से निरस्त नहीं हो सकता है। पट्टा जारी होने की जानकारी शुरू से थी। सहमति से ही पट्टा जारी कराया है। अगर आपत्ति थी जो पट्टा जारी होने के समय करते। पट्टा विधिवत जारी किया गया है निगरानी निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानी कर्ता द्वारा निम्न नजीर पेश की–

- AIR 1982 Imamul hassan vs state (FB) page 89
- RRT 2017(2) hasan vs smt. Ruksana page 803

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का सद्भावनापूर्वक अध्ययन किया। रेकर्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी विपक्षी के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गयी है। ग्राम पंचायत कोटडा से पट्टा संबन्धित पत्रावली चाही गई, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कोटडा द्वारा पत्र कमांक 07 दिनांक 16.11.2022 से उक्त रेकार्ड की पत्रावली ग्राम पंचायत कोटडा में उपलब्ध नहीं है। पट्टो की मूल प्रति या पट्टा बुक ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से रेकार्ड प्रेषित नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के साथ बापी पट्टा पत्रावली की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। जो कि सक्षम कार्यालय से प्रमाणित नहीं होकर केवल मात्र फोटो कॉपी है। वादग्रस्त भूमि/मकान निगरानीकर्ता व विपक्षी का पैतृक मकान है जिसे दोनो ही पक्षकार स्वीकार कर रहे है। पैतृक मकान का पट्टा संख्या 128 जो कि ग्राम पंचायत कोटडा द्वारा विपक्षी श्री नजीर अहमद पिता नसरूदीन के नाम बापी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत जारी किया है। उपरोक्त पत्रावली एवं दस्तावेज के अध्ययन से एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि पट्टा पैतृक मकान का होकर बापी पट्टा के रूप में जारी किया गया है। निगरानी कर्ता विपक्षी का पिता है, ग्राम पंचायत द्वारा पिता के जीवित रहते पुत्र के नाम पट्टा जारी कर दिया गया है। पैतृक भूमि का पट्टा जारी करने पर विधिक वारिसान की सहमति जरूर ली जानी चाहिए। पिता के जीवित रहते पुत्र के नाम बापी पट्टा बिना सहमति के जारी नहीं किया जा सकता है। निगरानीकर्ता का मुख्य आक्षेप है कि रेस्पोडेन्ट मुस्लिम विधि से अधिशासित होकर रेस्पोडेन्ट का पिता निगराकार जीवित है और मुस्लिम विधि के अनुसार जब तक पिता जिवित होते है तब तक पुत्र को अपनी पैतृक सम्पति में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने नाम पर ग्राम पंचायत कोटडा से जो पट्टा दिनांक 05.08.2014 को जारी करवाया है वह न्याय एवं विधि के सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। निगरानी कर्ता द्वारा पट्टा की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

जो फोटो प्रतिया पेश की गई है उनके अवलोकन से ग्राम पंचायत की मिसल पत्रावली के आदेशिका दिनांक 20.05.2014 " आज दिनांक को प्रार्थी श्री नजीर अहमद पिता श्री नसरूदीन मुसलमान निवासी कोटडा ने अपने पूर्वजो के निर्मीत मकान एवं भूमि के बापी पट्टा बनवाने हेतु कोरम में प्रार्थना पत्र पेश किया है मीसल बनाकर आगामी कोरम में पेश करे।(निमय 145) ।" अंकित किया है जिसमें स्वंय ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी के पूर्वजो के निर्मित मकान एवं भूमि के बापी पट्टे का उल्लेख किया गया है। उक्त पत्रावली में उसके पश्चात दिनांक 5.06.2014, 5.07.2014 एवं 5.08.2014 की आदेशिकाए लिखी हुई है। इन आदेशिकाओं में कहीं पर भी पिता या अन्य वारिसों के सहमति पत्र का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निगरानी कर्ता द्वारा निगरानी के साथ मकान के स्वंय के नाम के बिजली बिल, टेलिफोन बिल पेश किया जिसमें निगरानीकर्ता का नाम ही दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा पैतृक सम्पति का बापी पट्टा जारी किया गया है, जिसमें विधिक वारिसान की सहमति आवश्यक थी, जो ग्राम पचांयत द्वारा नहीं ली गई। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में विधिक त्रुटि की गई है। वर्तमान में ग्राम पंचायत के पास असल रेकार्ड भी उपलब्ध नहीं है जबकि उक्त पट्टा दिनांक 05.08.2014 का होकर 10 वर्ष पुराना भी नहीं है। पुराने से पुराना रेकार्ड ग्राम पंचायतो में संधारित रहता है। उक्त पट्टे में विधिक त्रुटि हुई है एवं मूल पत्रावली भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना यह स्पष्ट रूप से पट्टे की कार्यवाही को संदेहपूर्ण होना साबित करता है। विपक्षी द्वारा अपने जवाब के साथ स्वतंत्र व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है लेकिन **मुख्य तथ्य यह है कि क्या पैतृक भूमि का बिना विधिक वारिसान के सहमति के बापी पट्टा जारी किया जा सकता है?** विपक्षी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज अपने जवाब में पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि उक्त बापी पट्टे को प्राप्त करने हेतु पिता एवं अन्य विधिक वारिसान की सहमति ली गई हो। ऐसा कोई सहमति का पत्र भी पंचायत की पत्रावली (फोटो प्रति) में भी उपलब्ध नहीं है। सहमति के आधार पर बापी पट्टा सही जारी करवाया गया है इस तथ्य को साबित करने के लिए विपक्षी को चाहिए की वह आवश्यक दस्तावेज पेश करे। केवल मौखिक कथन के आधार पर सहमति होने के तथ्य को नहीं स्वीकारा जा सकता है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वरूप ग्राम पंचायत को दिनांक 16.09.2020 को पेश किया जिसकी फोटो प्रति प्रस्तुत की गई जिस पर ग्राम पंचायत की कोई सील/मार्क/प्राप्ति हस्ताक्षर आदि नहीं है। लेकिन उक्त आपत्ति का कोई खण्डन भी विपक्षी द्वारा नहीं किया गया है। इससे यह तो स्पष्ट है कि निगरानी कर्ता की कभी भी बापी पट्टा को लेकर सहमति नहीं रही है। विपक्षी का एक तर्क यह भी है कि जब असल पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध ही नहीं है तो किस पट्टा को निरस्त करवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

चाह रहा है। इससे भी यह माना जा सकता है कि विपक्षी भी कहीं न कही पंचायत में मूल पत्रावली नहीं होने से पट्टे के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह अंकित कर रहा है। वर्तमान में उक्त मकान पैतृक सम्पति होने से प्रार्थी को बिना सुने विपक्षी के पक्ष में जारी किया गया पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कोटडा द्वारा जारी बापी पट्टा सं. 128 (संकल्प संख्या 3) दिनांक 05.08.2014 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत संबन्धित हितधारी/सभी विधिक वारिसान को सुनकर नवीन पट्टा जारी करने हेतु स्वतन्त्र है। निर्णय की एक–एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. कोटडा एवं ग्राम पंचायत कोटडा को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)